भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4487

दिनांक 23/03/2021/02 चैत्र,1943 (शक) को उत्तर के लिए

जवानों का जीवन स्तर

4487. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों के अच्छे जीवन स्तर को सुनिश्चत करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की गई शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई स्थिति रिपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के जवानों, चाहे उनकी तैनाती नियंत्रण रेखा सहित कहीं भी हो, के लिए अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करने का सरकार का लगातार प्रयास रहा है। साफ-सुथरा और स्वाथ्यकारी आवास और मेस, अच्छी गुणवत्ता का राशन, चिकित्सा देखभाल, परिवहन आदि की दृष्टि से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं। हाल में ही भारत सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए 'आयुष्मान CAPF' योजना भी आरंभ की है।

(ग) और (घ): सीएपीएफ कार्मिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। ये शिकायतें केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) जैसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से/डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से की जा सकती हैं। शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का प्रयोग भी किया जाता है। बीएसएफ सहित सभी सीएपीएफ में शिकायतों का निवारण तत्परता और निष्ठापूर्वक करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वरिष्ठ अधिकारी एक वर्ष में 30 दिनों तक सीमा पर तैनात जवानों के साथ रहेंगे। इस अवधि के दौरान, जवानों के साथ संवाद के परिणामस्वरूप उनकी कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझने और उनका समाधान करने में सहायता मिलेगी।

(ङ) और (च): इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****